शुद्धि-पत्र

दिल्ली, 27 मई, 2008

नं. एफ 17 (14)/डी.ई.आर.सी./2007-08/878. – दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2008 को अनुमोदित कर दिया है और आयोग कं पत्र सं. 17(14)/इंजीनियरिंग/दि.वि.वि.आ./2007-08/151 दिनांक 8 अप्रैल, 2008 के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को अधिसूचना जारी करने के लिए भेज दिया गया है।

 उक्त विनियमों के कुछ विसंगतियां पाई गई हैं जिन्हें निम्निलिखित शुद्धि-पत्र जारी करके सुधार करने की आवश्यकता है:

''इन विनियमों के खंड 24.2 और 34.9 में उल्लिखित '35' की संख्या को '34' पढ़ा जाए । पुन: खंड 34.6 और 34.7 में उल्लिखित '35.5' की संख्या को '34.5' पढ़ा जाए।''

यह शुद्धिपत्र आयोग के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

, अमरेन्द्र कुमार तिवारी, सचिव

CORRIGENDUM

Delhi, the 27th May, 2008

No. F. 17(14)/DERC/2007-08/878.—Whereas DERC has approved the Delhi Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) Regulations, 2008 and forwarded to the Govt. of NCT of Delhi for Notification vide the Commission's letter No. 17(14)/Engg./DERC/2007-08/151 dated 8th April, 2008.

- 2 Whereas certain discrepancies have been observed in the said Regulations which need to be rectified by issuing following corrigendum:
- "In clause 24.2 and 34.9 of the Regulations the figure '35' be read as '34' Further, in clause 34.6 and 34.7 the figure '35.5' be read as '34.5'.
- This corrigendum issues with the approval of the Commission.

AMARENDRA K, TEWARY, Secy.